न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 02/2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर		सुनील पुत्र भीमराज जाति लोढा निवासी घांचियों का बास महामंदिर जोधपुर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती अरूणा मांगलिया

निर्णय

दिनांक 02.06.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी सुनील पुत्र भीमराज जाति लोढा निवासी घांचियों का बास, महामन्दिर जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.01.2022 को जिला प्रवर्तन निरीक्षक मय निरीक्षक टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा महामन्दिर स्थित, पुलिस थाना महामंदिर के पास वाली गली में कबाडी की दुकानों के पास स्थित बंद दुकान को खुलवाकर आकस्मिक जांच करने पर उपस्थित व्यक्ति सुनील पुत्र भीमराज लोढा द्वारा दुकान में कुल 23 घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। सिलेण्डरों के कागजात व भण्डारण संबधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। मौके पर पाए गये 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार हैः–

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned with CamScanner

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर. नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	भारत	AFT253	15.7 कि.ग्रा.	20.7 कि.ग्रा.	5.0 कि.ग्रा.
2.	भारत	302725	16.1 कि.ग्रा.	28.8 कि.ग्रा.	12.73 कि.ग्रा.
3.	भारत	576582	15.7 कि.ग्रा.	19.9 कि.ग्रा.	4.2 कि.ग्रा.
4.	भारत	121045	15.6 कि.ग्रा.	21.4 कि.ग्रा.	5.8 कि.ग्रा.
5.	भारत	333196	15.8 कि.ग्रा.	19.9 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
6.	एच.पी.	5061	15.7 कि.ग्रा.	15.7 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
7.	एच.पी.	98566	15.6 कि.ग्रा.	15.6 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
8.	एच.पी.	433686	15.5 कि.ग्रा.	15.5 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
9.	एच.पी.	106864	15.9 कि.ग्रा.	15.9 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
10.	एच.पी.	105630	15.2 कि.ग्रा.	15.2 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
11.	एच.पी.	1233455	15.6 कि.ग्रा.	15.6 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
12.	एच.पी.	10292781	15.5 कि.ग्रा.	15.5 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
13.	भारत	397483	15.5 कि.ग्रा.	15.5 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
14.	भारत	8917651	15.8 कि.ग्रा.	15.8 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
15.	एच.पी.	279	15.3 कि.ग्रा.	15.3 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
16.	एच.पी.	009226	15.6 कि.ग्रा.	15.6 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
17.	एच.पी.	272539	15.6 कि.ग्रा.	15.6 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
18.	एच.पी.	241695	15.3 कि.ग्रा.	15.3 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
19.	भारत	008927	15.3 कि.ग्रा.	15.3 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
20.	भारत	918910	15.5 कि.ग्रा.	15.5 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
21.	भारत	962636	15.7 कि.ग्रा.	15.7 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
22.	भारत	019149	15.8 कि.ग्रा.	15.8 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.
23.	एच.पी.	532147	15.7 कि.ग्रा.	15.7 कि.ग्रा.	0.0 कि.ग्रा.

उक्त 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों को जब्त सरकार किया जाकर श्री हनुमानराम विश्नोई प्रतिनिधि मारवाड गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में प्रार्थी विभागीय पेरोकार की बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर 23 घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त सिलेण्डरों को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्रीमती [illegible] ने जवाबी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी द्वारा [illegible] पर स्थित दुकान में कबाडी का व्यवसाय किया जाता है तथा दुकान में घरेलु गैस सिलेण्डर संग्रहण का कार्य नहीं किया गया है, दिनांक 19.01.2022 को अप्रार्थी की भानजी का विवाह होने के कारण 1000–1500 व्यक्तियों के भोजन व्यवस्था बाबत उक्त जब्तसुदा 23 घरेलु गैस सिलेण्डर अपने रिश्तेदारों से एकत्रित कर दुकान पर रखे गये थे, जिसके साक्ष्य हेतु अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विवाह निमंत्रण कार्ड एवं विभिन्न उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन दस्तावेज प्रस्तुत किये गया है इसलिए उक्त 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात नहीं किये जावें। अतः प्रार्थी द्वारा जब्त 23 घरेलु गैस सिलेण्डर (एच.पी. कम्पनी के 11 व भारत कम्पनी के 12) को रिलीज करने हेतु निवेदन किया गया है।

हमने विभागीय पेरोकार व अधिवक्ता अप्रार्थी की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार उक्त जांच मौके पर 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया तथा मौके पर उक्त सिलेण्डरों से संबधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। चूंकि विवाह समारोह आदी में भोज कार्यक्रम हेतु घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाना कानूनन वर्जित है तथा अप्रार्थी द्वारा उक्त सिलेण्डरों का भण्डारण भी विवाह स्थल अथवा स्वंय के घर इत्यादि सुरक्षित स्थान पर नंही किया जाकर भीड–भाड वाले क्षेत्र के बीच कबाडी की दुकान पर किया गया जो कि घरेलु गैस के अवैध उपयोग की आशंका प्रकट करता है अतः स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों का विवाह समारोह में अतिथियों के भोजन निर्माण कार्य हेतु अवैध उपयोग की मंशा से अवैध रूप से भण्डारण किया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 23 घरेलु गैस सिलेण्डरों का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

Scanned with CamScanner